

इसे वेबसाइट www.govt_press_mp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 फरवरी 2018—माघ 20, शक 1939

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क) — कुछ नहीं

भाग ४ (ख) — कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2018

क्र. एफ-2-2-2016-सात-शा.6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 244 के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (चौसठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अधिसूचना क्रमांक 220/6477-सात-ना (नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960 द्वारा उक्त संहिता की धारा 244 के अधीन बनाए गए हैं, नियमों में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, जो उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-4 (ग) दिनांक 1 दिसम्बर, 2017 में पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- नियम 1 में खण्ड (ग) में, शब्द “हरिजन” के स्थान पर, शब्द “अनुसूचित जाति” स्थापित किए जाएं;

2. नियम 2 में शब्द, अंक एवं कोष्ठक “भूमि अर्जन अधिनियम, 1984 (1984 का 1)“ के स्थान पर, शब्द, अंक एवं कोष्ठक “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)“ स्थापित किए जाएँ।
3. नियम 6 के उपनियम (2) के परन्तुक के खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए अर्थात्:—
“(दो) अनुसूचित जाति”
4. नियम 16 के परन्तुक के खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड (दो) स्थापित किया जाए अर्थात्:—
“(दो) अनुसूचित जाति”
5. नियम 21 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम 21-क अंतःस्थापित किया जाए अर्थात्:—
“21-क. यदि आवेदक/क्रेता विवाहित है, तो नियम 21 के अधीन प्रमाण-पत्र पति एवं पत्नी के संयुक्त नाम से जारी किया जाएगा।”
6. नियम 21 के अधीन प्रसूप-ग के पैरा 1 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए अर्थात्:—
“एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है, कि आत्मज एवं श्रीमती पत्नी निवासी ग्राम पटवारी हल्का क्रमांक तहसील जिला को रुपये प्रीमियम देने पर नीचे विनिर्दिष्ट भूखण्ड में भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किए गए हैं।”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2018

क्र. एफ 2-2-2016-सात-शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-2-2-2016-सात-शा. 6, दिनांक 1 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

Bhopal, the 1st February 2018

No. 2-2-2016-VII-Se.6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (Lxiv) of sub-section (2) of Section 258 read with Section 244 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Rules notified by notification No. 220-6477-VII-N (rules) dated 6th January, 1960, the same have been previously published as required by sub-section (3) of Section 258 of the said code in the Madhya Pradesh Gazette Part-4 (c) dated 1st December 2017, namely:—

AMENDMENT

In said rules.—

1. In rule 1, in clause (c), for the word “Harijan” the words “Scheduled caste” shall be substituted.

2. In rule 2, for the words, figures and bracket “The Land Acquisition Act, 1894 (No. 1 of 1894)”, the words, figures and bracket “The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013)” shall be substituted.

3. In rule 6, in sub-rule (2), in proviso, for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:—

“(ii) Scheduled Castes.”.

4. In rule 16, in proviso, for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-

“(ii) Scheduled Castes.”.

5. After rule 21, the following rule shall be inserted, namely :—

“21-A. If the applicant/purchaser is married, the certificate under rule 21 shall be issued in the joint name of husband and wife.”.

6. For para I of Form-C under rule 21, the following para shall be substituted, namely:-

“It is hereby certified that son of and Smt wife of resident of village P. H. No. Tahsil District has been granted bhumiswami's rights in the plot specified below and on payment of premium of Rs.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG SAXENA, Dy. Secy.